विधान परिषद के तृतीय सत्र, 2024 के प्रथम सोमवार के लिये निर्धारित श्री आशुतोष सिन्हा, मा0 सदस्य, विधान परिषद, द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–02 का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
2 (क) क्या वित्त मंत्री बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में कार्यरत राज्य कर्मचारी एवं अध्यापकों को न्यू पेंशन स्कीम के स्थान पर यूनिफाईड पेंशन स्कीम की तरह ही ओल्ड पेंशन स्कीम चुनने का भी अधिकार मिलेगा?	उत्तर प्रदेश राज्य में वर्तमान में यूनिफाईड पेंशन स्कीम लागू नहीं है। ओल्ड पेंशन स्कीम के लाभ हेतु विकल्प चुनने के संबंध में शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 तथा शासनादेश संख्या-24/2024/सा-3-303/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 22 अगस्त, 2024 जारी किये गये हैं। उक्त शासनादेशों में यह प्रावधान किया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार के कार्मिकों एवं परिषदीय विद्यालयों / शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं / राज्य सरकार द्वारा अनुदानित स्वायत्तशासी संस्थाओं, जिनमें राज्य कर्मचारियों की पेंशन योजना की भांति पेंशन योजना लागू रही है और जिनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है, के ऐसे सभी कार्मिकों को उस पद या रिक्ति के सापेक्ष नियुक्त किया गया है, जिसे भर्ती/नियुक्ति के लिये राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की अधिसूचना की तारीख अर्थात दिनांक 28.03.2005 के पूर्व विज्ञापित/ अधिसूचित किया गया था और दिनांक 01.04.2005 को अथवा उसके पश्चात सेवा में कार्यभार ग्रहण करने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत कवर किया गया है, "उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स रूल्स, 1961" के अधीन कवर किए जाने के लिए एक बार विकल्प दिया जाए।
(ख) यदि हाँ, तो कब तक?	उपरोक्तानुसार।
(ग) यदि नहीं, तो क्यों?	प्रश्न नहीं उठता।

सुरेश कुमार खन्ना
वित्त मंत्री।